GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE NO. 106/2004
SC NO. 57 to MC No. 16

No. E(NG)II/2000/RC-1/Gen./17 New Delhi, dt.26.5.2004

The General Manager(P)/ OSD, All Zonal Railways/ PUs,
RE/ Allahabad, MTP/Calcutta, Mumbai, Chennai,
CAO(R), DCW/ Patiala, COFMOW/ New Delhi,
DG, RDSO/ Lucknow, Director, IRISET/ Secunderabad,
IRICEN/ Pune, IRIEEN/ Nasik, IRIM&EE/ Jamalpur,
Principal, RSC/ Vadodara,

Sub: Compassionate appointment to the Wards of Medically decategorised staff – Relaxation of cut off period.

Ref: Railway Board's letter No. E(NG)II/2000/RC-1/Gen./17 dt. 6.03.2002.

***

In terms of this Ministry's letter under reference, compassionate appointment may be considered in favour of wife/eligible wards of such of the employee who were medically decategorised between 29.4.99 and 18.1.2000 (both days inclusive) and declared unfit to continue in the posts they were holding but fit to hold posts with lower medical classification, subject to the condition that:-

(i) the employees concerned have retired voluntarily between 29.4.99 and 18.1.2000 (both days inclusive) on medical decategorisation during the period; and

(ii) such cases are personally considered and decided by the General Manager on individual merit of each case.

2. Staff side have represented vide item No. 11/2004 in the DC-JCM held in March, 2004 that in many of the cases, though the employees were medically decategorised between the period 29.4.99 and 18.1.2000 and sought voluntary retirement on medical decategorisation but were retired after 18.1.2000,the cases for appointment on compassionate ground of such employees have not been considered by the Railway Administration which is not justified.

...2/-

3. The matter has been considered by the Board and it has been decided that further to Board's letter under reference, compassionate ground appointment may also be considered in favour of wife/eligible wards of such of the employees who were medically decategorised between the period 29.4.99 and 18.1.2000 and sought voluntary retirement on medical decategorisation but were retired after 18.1.2000. Such cases are to be considered and decided personally by the General Manager on individual merits of each case.

4. Please acknowledge receipt.

(Ashok Kumar)
Jt. Director Estt. (N)II
Railway Board

No. E(NG)II/2000/RC-1/Gen./17 New Delhi, dt. 26 .5.2004

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. All Members of Departmental Council/National Council and Staff Secretary, National Council, 14-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room 256A & 268, Railway Board (5 spares).
5. The Secretary General, AIRPF Association, Room No. 549, Rail Bhawan, New Delhi-1, with 5 spares.

for Secretary/RailwayBoard.

Copy to:-PPS to CRB, MS, Adv(S), DG/RHS, Sr.PSs, EDE(N), Adv.(IR), EDE(Res), EDE, EDE(RRB), EDPC-I, II, ED(H), DE(G), DE(N), D(MPP), DV(A), JDE(Rep), JDE(N)I, II, JDE(L), JD(IH), JDE(LR), DDE(Rep)-I, II, DDE(N)II, DD(Sec), DDRR, DDE(LR)I, II, III, E(Rep)I, II, III, E(G), E(W), E(SCT)I, II, Sec.(E), E(MPP), E(D&A), E(NG)I, PC-IV, V, E(RRB),A/C-III (10 copies), Code Revision Cell (5 copies) Branches of Railway Board.

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 106/2004

एम सी सं. 16 का एस सी सं. 57

सं. ई (एन जी)II/2000/आर सी-I/जन/17

नई दिल्ली, दिनांक 26.5.2004

महाप्रबंधक (कार्मिक), विशेष कार्याधिकारी,सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
रेल विद्युतीकरण/इलाहाबाद,म.प.प/कोलकाता, मुंबई, चैन्नै,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),डीपुका/पटियाला, कॉफमो/नई दिल्ली
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ, निदेशक, इरिसेट/सिकंदराबाद,
इरिसेन/पुणे,इरीन/नासिक,इरीमी एवं ई/जमालपुर
प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा.

विषय : चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति- कट ऑफ अवधि में छूट.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का 6.3.2002 का पत्र सं. ई (एन जी)II/2000/आर सी-I/जन./17

इस मंत्रालय के संदर्भाधीन पत्र के अनुसार, ऐसे कर्मचारी की पत्नी/पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाए, जिन्हें 29.4.99 और 18.1.2000 (दोनों दिन मिलाकर) के बीच चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत किया गया था और धारित पद पर बने रहने के अयोग्य लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से निचले वर्गीकरण वाले पदों के लिए योग्य घोषित किया गया था, लेकिन यह इस शर्त के आधार पर है कि:-

(i) संबंधित कर्मचारी 29.4.99 और 18.1.2000 (दोनों दिन मिलाकर) के बीच की अवधि के दौरान चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकरण के आधार पर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों; तथा

(ii) ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा विनिश्चय किया जाता है.

2. मार्च, 2004 में आयोजित विभागीय परिषद-संयुक्त वार्ता तंत्र में कर्मचारी पक्ष द्वारा मद सं.11/2004 के तहत अभ्यावेदन किया गया कि बहुत से मामलों में, हालांकि जिन कर्मचारियों को 29.4.99 और 18.1.2000 के बीच चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत किया गया था और उन्होंने चिकित्सीय विकोटिकरण के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी परंतु वे 18.12.2000

के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे, ऐसे कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के मामलों में रेल प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है.

3. बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है और बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के क्रम में यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों की पत्नी/पात्र आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाए जिन्हें 29.4.99 और 18.1.2000 की अवधि के बीच चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत किया गया था और जिन्होंने चिकित्सीय विकोटिकरण के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी, लेकिन वे 18.1.2000 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे. ऐसे मामलों में महाप्रबंधक द्वारा प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर व्यक्तिगत रूप से विचार और विनिश्चय किया जाएगा.

4. कृपया इस पत्र की पावती दें.

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)
संयुक्त निदेशक, स्था (अराज)-II
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन जी)II/2000/आर सी-I/जन/17 नई दिल्ली, दिनांक 26.5.2004

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
3. विभागीय परिषद/राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और स्टाफ सेक्रेटरी, नेशनल कौंसिल, 14-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
4. महासचिव, फ्रोआ एण्ड इरपोफ, कमरा 256 ए और 268, रेलवे बोर्ड (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, ए आई आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं.549, रेल भवन, नई दिल्ली-1, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड